

13/8/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थीगण को सुनवाई का पक्षों पर अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अंतिम बहस सुनी जावे। विप्रार्थीगण बावजूद राप्ती के उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि में खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि में विप्रार्थी आए दिन दखलदान्जी करने की कोशिश करते रहते हैं तथा विवादित भूमि को बेचान करने पर उत्तारू है, यदि इसमें सफल हो गए तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। अतं प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन आदेश से विप्रार्थीगण को पांबद किया जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय होगा कि वादीगण/प्रार्थीगण राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि का प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होकर विप्रार्थीगण खातेदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वेष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा